गोपनीय/मुहरबंद

(52)

बिहार सरकार
खेल विभाग

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख

विषय :– **खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अंठानवे) पदों के सृजन के संबंध में।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–37, दिनांक 09.01.2024 द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–44. के बाद एतद् नया क्रमांक–''45. खेल विभाग'' जोड़कर नया "खेल विभाग" का गठन किया गया है।

2. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग ''खेल विभाग'' '(Department of Sports)' के गठन के पूर्व राज्य अंतर्गत खेल से संबंधित सभी गतिविधियां, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, पटना के माध्यम से क्रियान्वित की जाती रही है।

3. खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय–समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल विभागीय पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी। खेल के विकास एवं आवश्यक खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों/जिलों/प्रखण्डों में अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य राज्य सरकार कर रही है। खेल की गतिविधियों को उपर्युक्त मानव बल के सहयोग से संचालित किया जाना है।

4. अतएव खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अंठानवे) पदों के सृजन का प्रस्ताव है:—

क्र	पदनाम (सेवा / संवर्ग)	वेतन संरचना	सृजित किये जाने वाले नए पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सचिवालय				
1	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, भा.प्र.से.	वेतन स्तर–17	01	
2	विशेष सचिव / अपर सचिव, भा.प्र.से.	वेतन स्तर–14	01	
3	संयुक्त सचिव, भा.प्र.से. / बि.प्र.से.	वेतन स्तर–13	01	
4	उप सचिव, भा.प्र.से. / बि.प्र.से.	वेतन स्तर–12	02	
5	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, बि.वि.प्र.से.	वेतन स्तर–12	01	
6	अवर सचिव, बि.स.से.	वेतन स्तर–11	02	
7	प्रधान आप्त सचिव, बि.स.आ.से.	वेतन स्तर–11	01	
8	आप्त सचिव, बि.स.आ.से.	वेतन स्तर–9	02	
9	प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	वेतन स्तर–9	05	
10	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	वेतन स्तर–7	15	
11	आशुलिपिक, बि.स.आ.से.	वेतन स्तर–4	03	
12	उच्च वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	वेतन स्तर–4	04	
13	निम्न वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	वेतन स्तर–2	08	
14	चालक	वेतन स्तर–2	05	
15	कार्यालय परिचारी	वेतन स्तर–1	12	
		लघु योग	**63**	

निदेशालय				
1	निदेशक, भा.प्र.से.	वेतन स्तर–13	01	
2	संयुक्त निदेशक, बि.खे.ए.यु..से. / बि.प्र.से.	वेतन स्तर–12	01	
3	उप निदेशक, खेल, बि.खे.ए.यु.से.	वेतन स्तर–11	02	
4	प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	वेतन स्तर–9	02	
5	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	वेतन स्तर–7	06	
6	सहायक निदेशक, क्रीड़ा, बि.खे.ए.यु..से.	वेतन स्तर–6	02	
7	सहायक निदेशक, युवा, बि.खे.ए.यु..से.	वेतन स्तर–6	02	
8	उच्च वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	वेतन स्तर–4	04	
9	निम्न वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	वेतन स्तर–2	08	
10	चालक	वेतन स्तर–2	02	
11	कार्यालय परिचारी	वेतन स्तर–1	05	
		लघु योग	**35**	
		कुल योग	**98**	

5. उक्त सृजित किये जाने वाले पदों पर सम्प्रति कुल वार्षिक व्यय **₹–4,63,98,000** / –(चार करोड़ तिरसठ लाख अंठानवे हजार रूपये) मात्र एवं यथा अनुमान्य अन्य भत्ते देय होंगे, जो राज्य सरकार को वहन करना होगा (अनुलग्नक–1 संलग्न)।

6. प्रस्तावित पदों के सृजन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का वहन गैर योजना मद् में बजट शीर्ष 52–2251–00–090–0031–खेल विभाग, मांग संख्या–52 के अंतर्गत होगा।

7. प्रशासी पद वर्ग समिति की दिनांक–11.06.2024 की संपन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–6473 / वि0, दिनांक–18.06.2024 के क्रमांक–22 द्वारा उक्त पदों की सृजन की स्वीकृति हेतु सहमति प्राप्त है (प्रति संलग्न)।

8. प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

49

9. उपर्युक्त कंडिका–4 एवं 5 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

Rajendra 19.6.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/पद0 सृज0– 04–01/2024-756 पटना, दिनांक–19.6./2024

प्रतिलिपि :– संलेख की 50 प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

Rajendra 19.6.2024

सरकार के प्रधान सचिव।

जाँच पत्र

1.	विभाग का नामः–	खेल विभाग
2.	संचिका संख्या :–	1/पद. सृज.–.04–01/2024
3.	प्रस्ताव का विषय :–	बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अंठानवे) पदों के सृजन के संबंध में।
4.	क्या हर संलेख के ऊपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय/मुहरबंद लिखा गया है?	हाँ
5.	क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	हाँ
6.	जिन विभागों के परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख में सहमत हैं?	हाँ
7.	व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबंध किया जा चुका है, तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं?	आवश्यक नहीं
8.	यदि वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गए हैं तो उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है?	आवश्यक नहीं
9.	क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसे संलेख में लिख दिया गया है?	हाँ
10.	क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकायें जमा की गई है और उन्हें निर्देश अंकित कर दिया गया है।	आवश्यक नहीं
11.	क्या नये पदों के सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति विभाग की सहमति के अतिरिक्त यदि योजना मद में हो तो योजना विभाग और गैर योजना मद में हो तो प्रशासी	आवश्यक नहीं

	पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है?	
12.	ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है?	आवश्यक नहीं
13.	सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योग्यताओं का पूरा–पूरा उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ख	क्या सीधी भर्ती वालों के पूर्व वृत सत्यापित कर लिये गये हैं?	आवश्यक नहीं
14.	प्रोन्नति का सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है, जिसमें अनु. जाति एवं अनु. जनजातियों के लिए स्थानीय आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाज रखा गया है और यदि नहीं तो उसका कारण एवं इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं?	आवश्यक नहीं
15.	(1) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों ने सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हता और शर्त पूरी कर ली है?	आवश्यक नहीं
	(2) जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप से स्वीकृत है या अस्थायी?	आवश्यक नहीं
	(3) प्रोन्नति स्थायी/परीक्ष्यमाण या स्थायी रूप से प्रस्तावित है?	आवश्यक नहीं
16.	क्या संपुष्टि या प्रोन्नति विषयक प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण (सुपरलेसन) है, तो क्या संलेख में इसके कारण का उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
17.	प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या प्रोन्नति या नियुक्ति किये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध किन्हीं अभियोग के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है?	आवश्यक नहीं
ख	यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ग	क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	आवश्यक नहीं
18	क्या लोक सेवा आयोग के अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति का उसके अवधि	आवश्यक नहीं

	विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर ली जाए:–	
(क)	(i) लोक सेवा आयोग को अधियाचना पत्र किसी पत्र से कब भेज गया है?	आवश्यक नहीं
	(ii)क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तो विभाग से भेजना लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iv)वर्त्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सर्वप्रथम कब स्वीकृत की गयी थी और कितने दिनों से अवधि विस्तार हो रहा है?	आवश्यक नहीं
	(v)नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलंब का कारण क्या है?	आवश्यक नहीं
(ख)	(i)क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है?	आवश्यक नहीं
	(ii)कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है?	आवश्यक नहीं
(ग)	क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है?	आवश्यक नहीं
19.	अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से प्राप्त प्रस्ताव के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गई है, जिसें यह स्पष्ट किया गया है कि विलंब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारियों को दंड देने के लिए विभाग ने कौन सी कार्रवाई की गयी है ?	आवश्यक नहीं
20.	क्या संलेख प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए)।	हाँ
21.	संलेख कम्प्यूटर टंकित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढा गया है या नही तथा संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं।	हाँ
22.	क्या संलेख को प्रधान सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं? (संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय मंत्री के पास भेजा जाना चाहिए)	हाँ

45

23.	संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं?(प्रेस नोट 35 प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
24.	कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं? (कार्यान्वयन अनूसुची 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
25	जाँच पत्र संलग्न है या नही? (जाँच पत्र 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
26	संलेख की प्रतियाँ संलग्न है या नही? (संलेख की 3(तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 45(पैंतालीस) छाया प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। संलेख की एक मूल हस्ताक्षरित प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए)।	हाँ

BRajendra 19.6.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–III

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु

–: कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण :–

विभाग का नाम :– खेल विभाग।

संचिका संख्या :– 01/पद. सृज.– 04–01/2024

विषय :– खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अंठानवे) पदों के सृजन के संबंध में।

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रिति/मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अंठानवे) पदों के सृजन के संबंध में।	खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय–समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में	एक सप्ताह।

	प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल विभागीय पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय / अंतर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों / एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी। खेल के विकास एवं आवश्यक खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों / जिलों / प्रखण्डों में अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य राज्य सरकार कर रही है। खेल की गतिविधियों को उपर्युक्त मानव बल के सहयोग से संचालित किया जाना है।	

हस्ताक्षर :— Rajendra 19.6.2024
नाम :— डॉ0 बी0 राजेन्दर
पदनाम :— सरकार के प्रधान सचिव

(42)

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। **प्रेस नोट**।।

खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय-समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल विभागीय पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी। खेल के विकास एवं आवश्यक खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों/जिलों/प्रखण्डों में अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य राज्य सरकार कर रही है। खेल की गतिविधियों को उपर्युक्त मानव बल के सहयोग से संचालित किया जाना है।

खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अंठानवे) पद सृजित होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारम्भिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारम्भिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे राज्य में खेल का वातावरण तैयार किया जा सकेगा तथा राज्य में राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद प्राप्त होगी।

BRajendra 19.6.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–1

खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 (अंठानवे) पदों के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र.	पदनाम	सृजित किये जाने वाले नए पदों की संख्या	प्रविष्टि वेतन	वेतन स्तर	वार्षिक वेतन	अन्य भत्ते
1	2	3	4	5	6	7
सचिवालय						
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भा.प्र.से.	1	2,25000	17	2700000	यथा अनुमान्य अन्य भत्ते देय होंगे।
2	विशेष सचिव/ अपर सचिव, भा.प्र.से.	1	1,44,200	14	1730400	
3	संयुक्त सचिव, बि.प्र.से.	1	118500	13	1422000	
4	उप सचिव, भा.प्र.से./ बि.प्र.से.	2	78800	12	1891200	
5	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, बि.वि.प्र.से.	1	78800	12	945600	
6	अवर सचिव, बि.स.से.	2	67700	11	1624800	
7	प्रधान आप्त सचिव, बि.स.आ.से.	1	67700	11	812400	
8	आप्त सचिव, बि.स.आ.से.	2	53100	9	1274400	
9	प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	5	53100	9	3186000	
10	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	15	44900	7	8082000	
11	आशुलिपिक, बि.स.आ.से.	3	25500	4	918000	
12	उच्च वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	4	25500	4	1224000	
13	निम्न वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	8	19900	2	1910400	
14	चालक	5	19900	2	1194000	
15	कार्यालय परिचारी	12	18000	1	2592000	
		63			**31507200**	
निदेशालय						
1	निदेशक, भा.प्र.से.	1	118500	13	1422000	यथा अनुमान्य अन्य भत्ते देय होंगे।
2	संयुक्त निदेशक, बि.प्र.से./बि.खे.ए.यु.से.	1	78800	12	945600	
3	उप निदेशक, खेल, बि.खे.ए.यु.से.	2	67700	11	1624800	
4	प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	2	53100	9	1274400	
5	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बि.स.से.	6	44900	7	3232800	
6	सहायक निदेशक, क्रीड़ा, बि.खे.ए.यु.से.	2	35400	6	849600	
7	सहायक निदेशक, युवा, बि.खे.ए.यु.से.	2	35400	6	849600	
8	उच्च वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	4	25500	4	1224000	
9	निम्न वर्गीय लिपिक, बि.स.लि.से.	8	19900	2	1910400	
10	चालक	2	19900	2	477600	
11	कार्यालय परिचारी	5	18000	1	1080000	
	लघु योग	**35**			**14890800**	
	✓ कुल योग	**98**			**46398000**	

(चार करोड़ तिरसठ लाख अंठानवे हजार रूपये) मात्र

(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव

प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक–11.06.2024 की बैठक की कार्यवाही।

क्र०सं०	विभाग का नाम/संचिका सं०	विषय / समिति के विचारण योग्य पाया गया प्रस्ताव	प्रशासी पदवर्ग समिति का निर्णय
22	खेल विभाग सं०सं०– 01/पद०सृज०–04–01/2024 ज्ञापांक–715, दि०–10.06.2024	खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के सम्पादन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय एवं निदेशालय के लिए विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत ।

(क) सचिवालय स्तर पर प्रस्तावित पदों का विवरण :

क्र०सं०	पदनाम	वेतनस्तर	पदों की संख्या
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	भा०प्र०से०	01
2	विशेष सचिव/अपर सचिव,	भा०प्र०से०/बि०प्र०से०	01
3	संयुक्त सचिव	भा०प्र०से०/बि०प्र०से०	01
4	उप सचिव	भा०प्र०से०/बि०प्र०से०	02
5	आंतरिक वित्तीय सलाहकार (बि०वि०प्र०से०)	Level-12	01
6	अवर सचिव (बि०स०से०)	Level-11	02
7	प्रधान आप्त सचिव (बि०स०आ०से०)	Level-11	01
8	आप्त सचिव (बि०स०आ०से०)	Level-9	02
9	प्रशाखा पदाधिकारी (बि०स०से०)	Level-9	05
10	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बि०स०से०)	Level-7	15
11	आशुलिपिक (बि०स०आ०से०)	Level-4	03
12	उच्चवर्गीय लिपिक (बि०स०लि०से०)	Level-4	04
13	निम्नवर्गीय लिपिक (बि०स०लि०से०)	Level-2	08
14	चालक	Level-2	05
15	कार्यालय परिचारी	Level-1	12
		योग	**63**

39

(ख) निदेशालय स्तर पर प्रस्तावित पदों का विवरण :–

क्र०सं०	पदनाम	वेतनस्तर	पदों की सं०
1	निदेशक	भा०प्र०से०	01
2	संयुक्त निदेशक	बि०प्र०से० / बि०खे०ए०यु०से०	01
3	उप निदेशक खेल (बि०खे०ए०यु०से)	Level-11	02
4	प्रशाखा पदाधिकारी (बि०स०से०)	Level-9	02
5	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बि०स०से०)	Level-7	06
6	सहायक निदेशक (क्रीड़ा / बि०खे०ए०यु०से)	Level-6	02
7	सहायक निदेशक (युवा / बि०खे०ए०यु०से)	Level-6	02
8	उच्चवर्गीय लिपिक (बि०स०लि०से०)	Level-4	04
9	निम्नवर्गीय लिपिक (बि०स०लि०से०)	Level-2	08
10	चालक	Level-2	02
11	कार्यालय परिचारी	Level-1	05
		योग	**35**

ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –
(लोकेश कुमार सिंह)	**(डॉ० बी० राजेन्दर)**	**(अरविन्द कुमार चौधरी)**	**(चैतन्य प्रसाद)**	**(ब्रजेश मेहरोत्रा)**
सचिव (सं०), वित्त विभाग।	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।	प्रधान सचिव, वित्त विभाग।	विकास आयुक्त।	मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक–3ए–8–बैठक–02/2018– **6473** /वि० पटना, **दिनांक–18/06/2024**

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/2024
(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।